रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

26/12/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 1988/आषाढ़ 20, 1910
No. 137] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 1988/ASADHA 20, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 26-आईटीसी (पीएन)/88—91

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1988

विषय :— अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा सं. 6/39/88, ई पी.सी.—वाणिज्य मंत्रालय की यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 1 आई टी सी (पीएन)/1988—91, दिनांक 30 मार्च, 1988 के अधीन प्रकाशित अप्रैल, 1988 मार्च, 1991 के लिए आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :

क्रम सं.	आयात निर्यात नीति,— 1988—91 (खंड -1) की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	66	अध्याय 19 कर छूट स्कीम पैरा-220 (2)	इस पैरे के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा "(2) मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसों में वे मामले शामिल होंगे जहां दो विनिर्माण यूनिट दो विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से दो स्तरों पर निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के उद्देश्य के लिए अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन करें। इस उद्देश्य के लिए प्रथम स्तर का विनिर्माता एक या सभी निवेशों का शुल्क-छूट

6	7	8	9	10
				प्राप्त करेगा और उन्हें अन्य मध्यस्थ उत्पादों में परिवर्तित करेगा जिन्हें वह अन्य विनिर्माता को आगे संसाधन के लिए हस्तांतरित कर देगा जो कि अंतिम नियातक होगा। मध्यस्थ उत्पाद के विनिर्माता को लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति से उत्पाद को सीधे निर्यात करने का विकल्प होगा।
2. 68	अध्याय 19 शुल्क छूट स्कीम पैरा 226			इस पैरा के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : "लेकिन, इस पैरा के प्रावधान ऊपर के पैरा 220(2) में आने वाले मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसों के लिए लागू नहीं होंगे।"
3. 68	अध्याय 19 शुल्क छूट स्कीम पैरा 227			(1) इस पैरा के प्रारम्भिक वाक्य की चौथी पंक्ति में पैरा सं. "200 (1), 220 (3)," को पैरा "220" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। (2) इस पैरा के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : "(3) जहां पैरा 220 (2) के अधीन आने वाले लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र और अंतिम विनिर्माता और मध्यस्थ विनिर्माता दोनों एक ही क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं और लाइसेंस के लिए साथ-साथ आवेदन करते हैं, वहां प्रत्येक आवेदन-पत्र (क) 25 लाख रुपये या कम मूल्य के लागत बीमा भाड़ा के लिए हो और ऊपर उप-पैरा (1) में उल्लिखित के अनुसार कोई निर्यात उत्पादन मानदण्ड निर्धारित किए हों, और (ख) जहां संबंधित आवेदन-पत्र 2 करोड़ रुपये के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के हों, और ऊपर उप-पैरा (2) में दिये गये के अनुसार निर्यात उत्पादन के मानदण्ड निर्धारित किए गए हों।"
4. 68	अध्याय-19 कर छूट स्कीम पैरा 228			(1) इस पैरा के अधीन क्रम सं. (2) में "और ऊपर 220(2)" शब्द और आकड़े हटा दिए जाएंगे। (2) पैरा 228 के अधीन क्रम सं. (4) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाएगा : "(5) पैरा 220(2) के अधीन आने वाले लाइसेंसों की श्रेणियां जहां (1) अंतिम नियातक और मध्यस्थ विनिर्माता दो विभिन्न क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समितियों के अधीन आते हैं और लाइसेंस के मूल्य को ध्यान में न रखते हुए लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र साथ-साथ दिये जाते हैं, और (2) जहां दोनों आवेदक, एक ही लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अधीन तो आते हैं परन्तु ऊपर के पैरा 227 (3) के अधीन नहीं आते हैं।"
5. 316	परिशिष्ट 17 छ. खाद्य क्रम सं. छ. 22(2)			निर्यात उत्पादन के ब्यौरे को निम्न प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाएगा : "ट्रीटिड और सम्पेषित"

3. वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सार्वजनिक सूचना सं. 2-आईटीसी (पीएन)/88—91, दिनांक 30-3-88 के अधीन प्रकाशित अप्रैल 1988 मार्च, 1991 के लिए प्रक्रिया पुस्तक की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है।

4. प्रक्रिया पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे :

क्रम सं.	आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1988-91 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1.	63	अध्याय 19 कर छूट स्कीम मध्यस्थ लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया पैरा 351	(1) पैरा 351 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : "351 (1) इस श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस जारी करना आयात नीति के पैरा 220(2) के प्रावधानों के अधीन आते हैं। अंतिम नियातक और मध्यस्थ विनिर्माता निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी/क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति मुख्यालय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को अग्रिम लाइसेंस के लिए अलग से आवेदन करेंगे। जबकि अंतिम नियातक मध्यस्थ विनिर्माता द्वारा संभरित किए जाने वाले सहित केवल अंतिम निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित मदों के लाइसेंसों के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे, मध्यस्थ विनिर्माता केवल अंतिम निर्यातक द्वारा संभारित किये जाने वाले मध्यस्थ उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित मदों के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे। यदि मध्यस्थ विनिर्माता आवेदन करना चाहे तो वह आवेदन पत्र में मदों की मात्रा मूल्य

1	2	3	4
			और विशिष्ट कारण को दर्शाते हुए अंतिम निर्यातक द्वारा दिए गए पक्का आदेश की पुष्टि करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य साथ होने चाहिए। दूसरी ओर, यदि अंतिम निर्यातक ने निर्यात उत्पादन अग्रिम के लिए अपेक्षित आयात की मदें वाली सभी मदों को सम्मिलित करने वाला अग्रिम लाइसेंस पहले ही प्राप्त कर लिया है और बाद में मध्यस्थ विनिर्माता से अग्रिम लाइसेंस में आने वाली मदों में से निवेश प्राप्त करने का इच्छुक है तो वह बाद में मध्यस्थ विनिर्माता को अपरिवर्तनीय साख-पत्र द्वारा समर्थित पक्के आदेश मध्यस्थ विनिर्माता द्वारा उसे निवेश की आपूर्ति करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है अंतिम निर्यातक मध्यस्थ विनिर्माता को आदेश प्रस्तुत करने से पहले संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आयात लाइसेंस प्रस्तुत करेगा जो कि सीधे आयात के लिए मध्यस्थ विनिर्माता द्वारा की जाने वाली आपूर्ति की सीमा तक मात्रा-वार और मूल्यवार लाइसेंस को प्रबंध करेगा और उसकी सूचना मध्यस्थ विनिर्माता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजेगा। सूचना की एक प्रति मध्यस्थ विनिर्माता को भी पृष्ठांकित की जाएगी पक्के आदेश और अंतिम निर्यातक के लाइसेंसिंग प्राधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मध्यस्थ विनिर्माता अग्रिम लाइसेंस के लिए संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी से आवेदन करेगा मध्यस्थ विनिर्माता अंतिम निर्यातक को निर्धारित मध्यस्थ माल की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा अंतिम निर्यातक उस पर लगाए गए निर्धारित निर्यात आभार को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। मध्यस्थ विनिर्माता को अंतिम निर्यातक से भुगतान सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से किया जाएगा। बांड की पुनः प्राप्ति के समय, मध्यस्थ विनिर्माता संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस संबंध में कि से [illegible] प्रस्तुत करेगा।"

1	2	3	4
			(2) पैरा 251(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : "(2) कोई भी आयात करने से पहले मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसधारी और अंतिम निर्यातकों को नीचे वर्णित पैरा 357(3) के अनुसार संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के साथ अलग-अलग बांड/विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो का निष्पादन करना पड़ेगा। जबकि अंतिम निर्यातकों को आयात नीति के पैरा-236 में यथा-निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्यात आभार पूर्ण करना अपेक्षित होगा, मध्यस्थ विनिर्माता को (क) छः मास की अवधि अनुमित होगी अथवा (ख) अंतिम निर्यातक की तरफ छोड़ी गई शेष अवधि इनमें से जो भी कम हो निर्यात आभार पूर्ण करने के लिए होगी।
2.	65	अध्याय-19 शुल्क छूट स्कीम संयुक्त बांड विधिक वचनबद्धता 5 का निष्पादन पैरा 357(3)	यह पैरा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "(3) उपर्युक्त पैरा 351 की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसधारी और अंतिम निर्यातक को परिशिष्ट 19-च से 19-झ में दिए गए संगत प्रपत्र में संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के साथ, अलग-अलग बांडों या विधिक वचनबद्धताओं, जैसा भी मामला हो, का निष्पादन करना अपेक्षित होगा। बांड या विधिक वचनबद्धता का निष्पादन अलग-अलग विनिर्माताओं के स्तर और पहले की परफार्मेन्स पर निर्भर करेगा और इसे जिस लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने लाइसेंस जारी किए थे उसके पास निम्नलिखित अनुसार निष्पादित करना होगा :— (क) अंतिम निर्यातक को पहली बार में सीधे आयात के लिए अपने उत्तरदायित्व की सीमा तक जैसा बांड बैंक गारन्टी या विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो, का निष्पादन करना पड़ेगा।

1	2	3	4
			तथापि, अन्तिम विनिर्माता मध्यस्थ विनिर्माता से जब और जैसे ही मध्यस्थ उत्पाद की आपूर्ति प्राप्त करेगा तो उसे आपूर्ति के प्रति उत्पन्न उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बांड/बैंक गारंटी या विधिक वचनबद्धता का निष्पादन करना होगा।"
			(ख) मध्यस्थ विनिर्माता के बांड/बैंक गारंटी या विधिक वचनबद्धता की उन्मुक्ति पर केवल तब विचार किया जाएगा जब कि : (i) पूरी मात्रा में संभरण कर दिया गया हो और उपर्युक्त उप पैरा (क) में दिए गए के अनुसार अन्तिम विनिर्माता द्वारा अतिरिक्त बांड/बैंक गारंटी अथवा विधिक वचनबद्धता निष्पादित कर दी गई हो, और (ii) मध्यस्थ विनिर्माता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने संबद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी की गई इस सम्बन्ध में पुष्टि प्राप्त कर ली हो।"
3.79	अध्याय 20 आयात निर्यात पास बुक स्कीम बांड/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन पैरा-388		इस पैरे के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ दिया जाए :-- "388 क. जहां इस स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंस में निर्धारित निर्यात आभार संबद्ध छूट प्राप्त सामग्री के आयात से पहले ही अंशतः पूर्ण कर लिया गया है, बांड/विधिक वचनबद्धता मूल्य में उसी अनुपात में घटा दिए जाएंगे ताकि वह केवल निर्यात-आभार/सीमाशुल्क छूट के अपरिपूर्ण भाग को ही दर्शाए। यदि कोई भी आयात होने से पहले ही निर्धारित निर्यात आभार पूर्ण रूप से पूरा कर लिया गया है तो बांड/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन आवश्यक नहीं होगा। तथापि, इस प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारक को ऐसे आंशिक अथवा पूर्ण निर्यात आभार को साबित करने के लिए संबद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी के सामने सीमाशुल्क की प्रविष्टियां दिखाते हुए पासबुक सहित निर्धारित निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।"
4.335	परिशिष्ट 15-च घोषणा (7)		वर्तमान घोषणा (7) को निम्नलिखित अनुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित कर दिया जाए :-- "(7) मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि निर्यातित पत्रिकाओं/सावधिकों/पुस्तकों (पाठ्य पुस्तकों और हार्ड बाउंड बुक्स से भिन्न) के लिए वसूल किए गए मूल्य अधिकतम 40 प्रतिशत डिस्काउन्ट घटाकर सूचीबद्ध विदेशी मूल्यों से कम नहीं थे। जिन मामलों में कोई विदेशी मूल्य सूचीबद्ध नहीं थे उनमें सूचीबद्ध भारतीय मूल्य से कम पत्रिकाओं/सावधिकों/पुस्तकों/पाठ्य पुस्तक और हार्ड बाउन्ड बुक्स से भिन्न) को अधिकतम 40 प्रतिशत सामान्य व्यापार डिस्काउन्ट घटाकर सरकारी मुद्रा विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया था। पाठ्य पुस्तकों और हार्ड बाउन्ड बुक्स के मामलों में 50 प्रतिशत तक व्यापार डिस्काउन्ट की अनुमति है।
5.386	परिशिष्ट 19-ज एवं झ संयुक्त बांड पत्र/विधिक वचनबद्धता प्रपत्र		ये परिशिष्ट क्रमशः अनुबंध "क" एवं "ख" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(IMPORT TRADE CONTROL)

PUBLIC NOTICE NO : 25 -ITC(P N)/88 -91

New Delhi, the 11th July, 1988

Subject :—Import and Export Policy for April, 1988—March, 1991.

F. No. 6/39/88-EPC.—Attention is invited to the Import and Export Policy for April, 1988—March, 1991 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)88-91 dated the 30th March, 1988, as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1988—91 (Vol. I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	66	Chapter XIX Duty Exemption Scheme Para 220(2)	This para shall be substituted by the following :- "(2) Intermediate Advance Licences are to cover those cases where two manufacturing units apply for Advance licences for the purpose of manufacture of the export product in two stages in two different industrial establishments. For this purpose, the first stage manufacturer will import one or all the inputs duty free and convert them into Intermediate products which he would transfer for further processing to another manufacturer, who would be the ultimate exporter. The manufacturer of the intermediate product would also have the option to export the product directly with the permission of the licensing authority."
2.	68	Chapter XIX Duty Exemption Scheme Para 226	The following shall be added at the end of this para :— "However, the provisions of this para shall not be applicable for Intermediate Advance Licences covered by para 220(2) above."
3.	68	Chapter XIX Duty Exemption Scheme Para 227	(i) In the fourth line of the opening sentence of this Para, the Para Nos. "220 (1), 220(3)" shall be substituted by "220". (ii) The following shall be added at the end of this para : "(3) Where the applications are for licences covered by para 220(2), and both the ultimate manufacturer and the intermediate manufacturer fall under the jurisdiction of the same Regional Advance Licensing Committee and apply for licence simultaneously, where : (a) each of the applications is for a CIF value of Rs. 25 lakhs or below and no input-output norms have been fixed as mentioned in sub-para (1) above; and (b) where the respective applications are upto a CIF value of Rs. 2 Crores and input-output norms have been fixed as in sub-para (2) above."
4.	68	Chapter XIX Duty Exemption Scheme Para 228	(i) In Sl. No. (2) under this Para, the words and figures "and 220(3) above" shall be deleted. (ii) The following shall be added at the end of Sl. No. (4) under Para 228 :— "(5) Categories of licences covered under Para 220(2) and where : (i) the ultimate exporter and the intermediate manufacturer fall under the jurisdiction of two different Regional Advance Licensing Committees and applications for licences are made simultaneously irrespective of the value of the licences, and (ii) where both the applicants are under the jurisdiction of the same licensing authority but are not covered by Para 227(3) above."
5.	316	Appendix 17 G. Foods S. No. G. 22(ii)	The description of the export product shall be amended to read as "treated and pulverised".

3. Attention is also invited to the Hand Book of Procedures, April, 1988—March, 1991 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC (PN)/88–91 dated the 30-3-88 as amended.

4. The following amendments shall be made in the Hand Book at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Hand-Book of Procedure, 1988—91 (Volume I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	63	Chapter XIX Duty Exemption Scheme Procedure for obtaining intermediate Licences Para 351	(i) Para 351 (1) shall be substituted by the following :— "351 (1). The issue of licences under this category is covered by the provisions of Para 220(2) of the

1	2	3	4
			Import Policy. The ultimate exporter and the intermediate manufacturer will make separate applications for advance licences to the licensing authorities/Regional Advance Licensing Authorities/Headquarters Advance Licensing Committees concerned as per the jurisdiction prescribed. While the ultimate exporter will be entitled to apply for a licence to cover the items required for manufacture of the ultimate export product including the one to be supplied by the intermediate manufacturer, the intermediate manufacturer, will be entitled to apply for a licence for items which are required for manufacture of the intermediate product to be supplied to the ultimate exporter only. Where an application is sought to be made by the intermediate manufacturer, it should be accompanied by documentary evidence to the fact that a firm order has been placed on him by the ultimate exporter indicating the quantity, value and specification of the intermediate products. Alternatively, if the ultimate exporter has already obtained an Advance Licence covering all the items of import required for export production and subsequently desires to procure an input out of those covered by the Advance Licence from an Intermediate manufacturer, he may subsequently place a firm order backed by an irrevocable Letter of Credit on the intermediate manufacturer to cover the supply of the input by the intermediate manufacturer to him. The ultimate exporter before placing the order on the intermediate manufacturer would produce the Import Licence to the licensing authority concerned which will make the licence invalid both quantity-wise and value-wise for direct import to the extent the supplies are to be made by the intermediate manufacturer and send an intimation thereof to the licensing authority of the intermediate manufacturer. A copy of the intimation will also be endorsed to the intermediate manufacturer. On the basis of the firm order and the intimation received from the licensing authority of the ultimate exporter, the intermediate manufacturer would apply for the advance licence to the concerned licensing authority. The intermediate manufacturer would be responsible for the supply of the stipulated intermediate goods to the ultimate exporter, the ultimate exporter would be fully responsible for fulfilment of the stipulated export obligation imposed on him. The payment from the ultimate exporter to the intermediate manufacturer shall be made through the normal banking channels. At the time of redemption of the bond, the intermediate manufacturer shall produce evidence from the bank to this effect to the concerned licensing authority."
			(ii) Para 351 (2) shall be subsituted by the following :
			"(2) Before effecting any import, the Intermediate Advance licence holder and the ultimate exporter will have to execute a separate bond/legal undertaking, as the case may be, with the licensing authority concerned as explained in para 357 (3) below. While the ultimate exporter will be required to fulfil the export obligation within the time-limit as laid down in Para 236 of the Import Policy,

1	2	3	4
			the intermediate manufacturer : (a) will be allowed a period of six months, or (b) the balance period left with the ultimate exporter to fulfil the export obligation, whichever is less."
2.	65	Chapter XIX Duty Exemption Scheme Execution of Joint Bond/Legal Undertaking Para 357 (3)	This para shall be substituted by the following :- "(3) An intermediate Advance licence-holder and the ultimate exporter in receipt of Advance licences in terms of Para 351 above will be required to execute separate bonds or legal undertakings, as the case may be, with the respective licensing authorities in the relevant forms as given in Appendices XIX-F to XIX-I. The execution of the bond or legal undertaking will depend on the status and past performance of the individual manufacturers and will have to be executed with the licensing authority which issued the licences in the following manner :- (a) The ultimate manufacturer shall execute the bond/bank guarantee or legal undertaking as the case may be upto the extent of his liabilities for direct imports at the first instance. However, the ultimate manufacturer will be required to execute additional bond/bank guarantee or legal undertaking to cover the liabilities arising from the supply of intermediate product as and when received from the intermediate manufacturer." (b) Redemption of bond/bank guarantee or legal undertaking of the intermediate manufacturer shall be considered only : (i) after the entire quantum of supplies have been made and an additional bond/bank guarantee or legal undertaking as mentioned in sub-para (a) above is executed by the ultimate manufacturer; and (ii) a confirmation to that effect issued by the concerned Licensing authority is received by the licensing authority of the intermediate manufacturer."
3.	70	Chapter XX Import-Export Pass Book Scheme Execution of Bond/ Legal Undertaking Para 388	The following new Para shall be added after this para: "388. A. Where the export obligation prescribed or a licence under this scheme has been fulfilled in part before import of the exempt materials involved the bond/legal undertaking will be correspondingly reduced in value, so that it represents only the unfulfilled part of the export obligation/Customs duty exemption. If the export obligation prescribed has been met in full before any import takes place, execution of a bond/legal undertaking will not be necessary. For this purpose, however, the licence-holder will have to produce to the licensing authority concerned prescribed export documents to prove such partial or total fulfilment of export obligation alongwith the Pass Book showing Customs entries."

1	2	3	4
4.	335	Appendix XV-F Declaration(vii)	The existing declaration (vii) shall be amended to read as under:— "(vii). I/We hereby declare that the prices charged for journals/periodicals/ books (other than text books and hard bound books) exported were not less than the listed foreign prices minus a discount of not more than 40%. In cases no foreign price was listed the journals/ periodicals/books (other than text books and hard bound books) less than the listed Indian prices converted into foreign currency at the official exchange rate, minus the usual trade discount not exceeding 40%. In the case of text books and hard bound books, the trade discount upto 50% is allowed."

5. The abovd amendments have been made in public interest.

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988